छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27 जनवरी, 2023

क्रमांक एफ 20–52/ 2019/11/(6) चूंकि, राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–01/2019/11/6, दिनांक 22.10.2020 की कंडिका क्रमांक–13 (तेरह) के द्वारा नीति के परिशिष्ट–6.2 के संदर्भ में जारी **"छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम–2019"** योजना को संशोधित किया गया है।

साथ ही समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 के बिन्दु क्रमांक–5(पांच) के माध्यम से तालिका के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 'स' श्रेणी के विकासखण्डों हेतु प्राथमिकता एवं उच्च प्राथमिकता श्रेणी के लिए मात्रात्मक त्रुटि सुधार संशोधन किया गया है। तदनुसार इस योजना की मूल अधिसूचना क्रमांक एफ 20–52/2019/11/6, दिनांक 05.12.2019 एवं दिनांक 17.09.2021 के द्वारा जारी किए गए संशोधन अनुसार पारस्परिक बिन्दुओं पर संशोधन किया जाना आवश्यक है।

अतः अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में उपयुक्त संशोधन किया जाना लोकहित में आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

## संशोधन

(एक) **"छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम–2019" की कंडिका क्रमांक 5 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :–**

1. योजना की मूल अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में वर्णित कंडिका–5 की उप कंडिका–5.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–
   *(5.2) "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विद्यमान कार्यरत/उत्पादनरत उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन/शवलीकरण के फलस्वरूप यदि औद्योगिक इकाई की श्रेणी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से भिन्न श्रेणीं अर्थात् वृहद, मेगा अथवा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में परिवर्तित होती है तो अनुदान की पात्रता नहीं होगी।*
2. योजना की मूल अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में वर्णित कंडिका–5 की उप कंडिका–5.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–
   *(5.3) औद्योगिक/वाणिज्यिक हेतु व्यपवर्तित भूमि पर लाजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की नवीन स्थापना/पूर्व स्थापित लाजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) के विस्तार करने पर सामान्य श्रेणी के उद्योगों की भांति अनुदान की पात्रता होगी।*

   *लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन द्वारा लागू किये गए मापदण्डों का पालन अनुदान के प्रयोजन से अनिवार्य होगा।*
3. योजना की मूल अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में वर्णित कंडिका–5 की उप कंडिका–5.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

*(5.5) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्रमांक-(21) के अंतर्गत परिशिष्ट 6.24 में सूचीबद्ध एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यमों को निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश करने पर निर्धारित मात्रा अनुसार सामान्य श्रेणी के उद्योगों की भांति अनुदान की पात्रता होंगी।*

(दो) **"छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम-2019" में कंडिका क्रमांक 6 में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है :-**

1. योजना की मूल अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में वर्णित कंडिका-6 की उप कंडिका-6.1 में वर्णित तालिका में निम्नानुसार प्रविष्टियों को संशोधित किया जाता है:-

अ- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए "स" श्रेणी के विकासखण्डों में प्राथमिकता श्रेणी उद्योग हेतु **35 प्रतिशत अनुदान को 40 प्रतिशत** किया जाता है।

ब- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए "स" श्रेणी के विकासखण्डों में उच्च प्राथमिकता श्रेणी उद्योग हेतु **40 प्रतिशत अनुदान को 45 प्रतिशत** किया जाता है।

2. योजना की मूल अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में वर्णित कंडिका-6.1 में वर्णित तालिका के उपरांत अंकित टीप को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

*"टीप -*

*पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार परिशिष्ट-6.2 अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा परिशिष्ट-6.3 अनुसार नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है। अतः विकल्प का प्रारूप परिशिष्ट-अ में उपलब्ध है।"*

(तीन) **"छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम-2019" में कंडिका क्रमांक 7 की उप कंडिका क्रमांक 7.1 से 7.4 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :-**

**कंडिका क्रमांक 7 - *सेवा उद्यम हेतु अनुदान की मात्रा-***

*औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-6.24 में वर्णित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को नियमों में अन्यथा निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश करने पर इस नीति में किये गये प्रावधान एवं निर्धारित पात्रता अनुसार सामान्य श्रेणी के उद्योगों की भांति स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता होगी। उक्त प्रयोजन के लिए एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को संबंधित उत्पादन/ सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा जारी किये जायेंगे।*

(चार) **"छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम-2019" में कंडिका क्रमांक 8 की उप कंडिका क्रमांक 8.3 एवं 8.11 (फ) की कंडिका-4 में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है :-**

1. योजना की मूल अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में वर्णित कंडिका-8 की उप कंडिका-8.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

*(8.3) मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अभिमत सहित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरण उद्योग संचालनालय के माध्यम से संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को सूक्ष्म परीक्षण, स्थल निरीक्षण/ अभिमत/ अनुशंसा हेतु*

*प्रेषित किये जायेंगे, ऐसे प्रकरणों का निराकरण उद्योग संचालनालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा।*

2. योजना की मूल अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में वर्णित कंडिका-8 की उप कंडिका-8.11 (फ) की बिन्दु-4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

*आवेदन प्रस्तुत करने में 03 माह से अधिक के विलंब को सुनवाई कर प्रकरण के गुण/दोष के आधार पर विलंब शिथिल करने का अधिकार होगा।*

*समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये मध्यम उद्योग/मध्यम सेवा उद्यम के आवेदनों को नियमानुसार स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात 06 माह तक विलंब से प्राप्त आवेदनों के संबंध में इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विलंब को शिथिल कर अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार होगा।*

*किन्तु प्रत्येक मामले में विलंब स्वीकृत करने के विषय में स्पष्ट आदेश पारित किया जाना आवश्यक होगा, जिसे जारी किये जाने वाले आदेश में भी लिपिबद्ध किया जायेगा।*

**(पांच) "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम-2019" में कंडिका क्रमांक 9 में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है :-**

1. योजना की मूल अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में वर्णित कंडिका-9 की उप कंडिका-9.1 एवं 9.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

*(9.1) नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों/सेवा उद्यम के प्रकरणों में स्थायी पूंजी निवेश की गणना उद्यम आकांक्षा जारी दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारम्भ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक तथा वाणिज्यिक उत्पादन/ सेवा गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक से - सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरण में 06 माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया स्थायी पूंजी निवेश को शामिल किया जावेगा, मध्यम उद्योग/मध्यम सेवा उद्यम के प्रकरणों में यह अवधि 12 माह होगी।*

*(9.2) विद्यमान उद्योगों/सेवा उद्यमों के विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन के प्रकरणों में स्थायी पूंजी निवेश की गणना, विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन की पूर्वानुमति दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारम्भ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन/ सेवा गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक तथा वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारम्भ करने के दिनांक से - सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों के प्रकरण में 06 माह, मध्यम उद्योग/मध्यम सेवा उद्यम के प्रकरणों में यह अवधि 12 माह की कालावधि में योजना के मदों में किया गया स्थायी पूंजी निवेश को शामिल किया जावेगा।*

*औद्योगिक नीति के कंडिका क्रमांक 15.27 के अनुसार एनसीएलटी अथवा सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत क्रय कर उद्योग आरंभ किये जाने वाले प्रकरणों में स्थायी पूंजी निवेश की गणना नवीन क्रेता के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख/अनुबंध में अंकित राशि जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो मान्य किया जावेगा तथा अनुबंध के निष्पादन दिनांक से उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक तक तथा - सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों/सेवा उद्यमों हेतु उत्पादन दिनांक से 06 माह, मध्यम उद्योग/मध्यम सेवा उद्यम हेतु 12 माह की कालावधि में योजना के मदों में किये गये स्थायी पूंजी निवेश को शामिल किया जावेगा।*

2. योजना की मूल अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में वर्णित कंडिका–9 की उप कंडिका–9.3.1–टीप को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

*टीप–*

*(अ) भूमि पट्टे पर लिये जाने की स्थिति मे पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की होना आवश्यक है।*

*(ब) भूमि विकास में किये गये निवेश की गणना – मान्य किये गए भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत की सीमा तक ही मान्य किया जावेगा।*

3. योजना की मूल अधिसूचना दिनांक 05.12.2019 में वर्णित कंडिका–9 की उप कंडिका–9.3.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

*(9.3.3) "विद्युत आपूर्ति निवेश" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/शवलीकरण के लिए विद्युत की व्यवस्था एवं विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी अथवा निजी कंपनी को भुगतान की गयी राशि एवं विद्युत आपूर्ति हेतु किए गए अन्य निवेश यथा ट्रांसफॉर्मर, केबल, विद्युत पैनल, मेन स्विच बोर्ड व अन्य इलेक्ट्रीकल सामग्री, जो उत्पादन प्रकिया से संबंधित हो (उपभोक्ता सामग्री को छोडकर)।*

*टीप:– भुगतान की गयी राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जावेगी।*

4. "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम–2019" में कंडिका क्रमांक 9 की उप कंडिका क्रमांक 9.6 के पश्चात नवीन उप कंडिका क्रमांक 9.7 निम्नानुसार समावेशित की जाती है :–

***<u>उप कंडिका 9.7</u>***

*9.7.1– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा सेवा उद्यम (लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज) के मामलों में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान एकमुश्त किया जावेगा।*

*9.7.2– मध्यम उद्योगों तथा लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम) एवं कोल्ड स्टोरेज से भिन्न मध्यम सेवा उद्यमों के मामलों में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का वितरण तीन समान वार्षिक किश्तों में किया जावेगा। प्रथम किश्त की गणना अवधि अनुदान स्वीकृति के वित्तीय वर्ष से की जावेगी।*

**(छः) "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम–2019" में कंडिका क्रमांक 10 की उप कंडिका क्रमांक 10.3 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–**

*(10.3) राज्य स्तरीय समिति को अपील करने में हुए विलम्ब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार/व्याख्या कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। समिति द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।*

यह अधिसूचना दिनांक 01 नवंबर 2019 से प्रभावशील मानी जाएगी।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार**

**(भुवनेश यादव)**
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20-52/2019/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक जनवरी,2023

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर छ0ग0
2. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर छ0ग0
3. अपर संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रायपुर छ0ग0
4. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
5. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ..... ..... छ.ग.

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

परिशिष्ट–अ

## //विकल्प पत्र//

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 20–52/2019/11/6 दिनांक 05.12.2019 एवं संशोधत अधिसूचना कमांक–एफ 20–52/2019/11/6 दिनांक 17.09.2021 के बिंदु कमांक–6.1 टीप कमांक–अ के संबंध में विकल्प बाबत)

(शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में नोटराईज्ड प्रस्तुत किया जावे)

मैं.....आत्मज.....

प्रो/साझेदार/सदस्य/अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स.....

.....घोषित करता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 20–52/2019/11/6, दिनांक 05.12.2019 एवं संशोधत अधिसूचना कमांक–एफ 20–52/2019/11/6 दिनांक 17.09.2021 का अध्ययन कर लिया गया है। अतः मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति के विकल्प का चयन किया जाता है। हमें यह भी ज्ञात है कि उक्तानुसार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय है।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम–

पदनाम–

हस्ताक्षर–

औद्योगिक इकाई के नाम एवं पता–

दिनांक–